INDEX – SBA 03H

TOPIC	PAGE
संविधान सभा	1
भारतीय संविधान के स्त्रोत	6
प्रस्तावना	8
भाग - I = संघ व राज्य क्षेत्र	13
अनुसूचियां	18
भाग –3 मूल अधिकार (अनु. 12–35)	21
भाग – 4 (Art. 36-51) राज्य के नीति निदेशक तत्व	31
भाग–4 (क) मूल कर्त्तव्य	35
भाग –5 संघ (अनु. 52–151)	37
न्यायपालिका (Art. 124-147)	73
राज्य विधानमण्डल (भाग–vi Art. 152-237)	84
आपातकाल	87
भाग –11 केन्द्र–राज्य संबंध (Art. 245-263)	92
वरीयता क्रम (Precedence)	99
राजभाषा (Art. 343-351)	101
संविधान संशोधन	103
राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था	**104–149**
राज्य की कार्यपालिका	104
राज्य विधानमण्डल	113
सचिवालय	118
संभाग	122
जिला प्रशासन	124
राज्य निर्वाचन आयोग	131
राजस्थान लोक सेवा आयोग (R.P.S.C.)	131
राज्य मानवाधिकार आयोग	133
राज्य सूचना आयोग	134
स्थानीय स्वशासन	136
नगरीय संस्थाएं	143
सिटिजन चार्टर	149

Springboard ACADEMY

संविधान सभा

→ सर्वप्रथम 1895 ई. में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की।

→ 1921– गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की।

→ 1934 – मानवेन्द्र नाथ रॉय (M.N. रॉय) ने संविधान सभा की मांग की।

→ 1935 – कांग्रेस ने पहली बार अधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की।

→ 1938 – कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहर लाल नेहरू सार्वजनिक वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की।

→ 1940 – अगस्त प्रस्ताव

ब्रिटीश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया।

→ 1942 – क्रिप्स मिशन

निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रांतीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा।

→ 1946 – कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा।

कुल सदस्य –389

- ब्रिटीश भारत
  296 (निर्वाचित)
  - प्रान्तों
    292
  - उच्चायुक्त क्षेत्र
    (4)
    1. दिल्ली
    2. अजमेर – मेरवाड़ा – मुकुट बिहारी लाल
    3. कुर्ग (कर्नाटक)
    4. ब्लूचिस्तान
- रियासतें
  93 (मनोनीत)

→ जुलाई–अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था।

→ कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे।

Springboard ACADEMY

→ मुस्लिम के लिए 78 सीट आरक्षित की गयी थी उसमें से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए थे।

→ संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया।

→ महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था।

→ कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी।

→ जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था।

→ 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्टतम सदस्य ''सच्चिदानन्द सिन्हा'' को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।

→ 11 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त (निर्वाचित) किया गया।

→ H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

→ T.T. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

→ B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।

→ संविधान का ''पहला प्रारूप B.N. राव'' ने तैयार किया था। जबकि अंतिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था।

→ 13 दिसम्बर 1946 पंडित जवाहर लाल नेहरू ने –''उद्देश्य प्रस्ताव'' पेश किया था।

→ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया।

→ उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं :–

1. सम्प्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना।
2. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना।
3. नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना।
4. नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना।
5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना।
6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना।

→ उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका था जिसमें संविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण समितियां :–

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति
3. प्रान्तीय शक्ति समिति

अध्यक्ष – जवाहर लाल नेहरू

4. प्रान्तीय संविधान समिति – अध्यक्ष – सरदार वल्लभ भाई पटेल
5. मूल अधिकार, अल्प संख्यक, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए समिति – सरदार वल्लभ भाई पटेल

1. मूल अधिकार उप–समिति– जे. बी. कृपलानी
2. अल्पसंख्यक के लिए उपसमिति – H.C. मुखर्जी
3. अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्र उप समिति – गोपीनाथ बारदोलोई
4. बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उपसमिति – A.V. ठक्कर

प्रारूप समिति :–

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. गोपालस्वामी आयंगर
3. कृष्णा स्वामी अय्यर
4. K.M. मुंशी
5. मोहम्मद सादुल्लाह
6. N. माधव राव (B.L. मित्र) त्यागपत्र
7. T.T. कृष्णामाचारी (D.P. खेतान की मृत्यु)

→ इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का प्रस्ताव दिया और उससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया।

→ प्रथम पठन – 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक दिया।

→ द्वितीय पठन – 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दिया।

→ तृतीय पठन – 14 नवम्बर 1949 से 26 नवम्बर 1949 तक दिया।

→ **26 नवम्बर 1949** को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये।

→ **<u>15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका</u> :–**

1. सम्प्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई। केबिनेट मिशन की अनुशंशा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी।

2. 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। संविधान सभा के साथ–साथ विधानमण्डल के रूप में कार्य किया।

3. आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे।

299 सदस्य

229 ब्रिटीश प्रान्त　　70 रियासतों

299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे।

4. 15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 को लागू किये गये।

अनु. – 5,6,7,8,9 (नागरिकता से संबंध)

अनु. – 60 (राष्ट्रपति की शपथ)

अनु. – 324 (निर्वाचन आयोग)

अनु. – 366, 367 (निर्वाचन संबंधि शब्दावली)

अनु. – 379, 380, 388, 391, 392, 393

	आरम्भ	वर्तमान
→ मूल संविधान में	भाग 22 थे	25
	अनुच्छेद 395	460
	अनुसूचियां 8	12

संविधान सभा के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय :–

→ 22 जुलाई 1947 – राष्ट्रध्वज को मान्यता दी।

→ 10 मई 1949 – ''राष्ट्रमण्डल की सदस्यता'' को मान्यता दी गयी।

→ 24 जनवरी 1950 – राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी।

→ 24 जनवरी 1950 – भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया।

24 जनवरी 1950 – इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया गया। इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप में यह कार्य करती रही (1952 तक)

संविधान सभा की आलोचना :–

→ संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये थे।

→ संविधान सभा के सदस्य प्रान्तीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किये गये थे। प्रान्तीय विधानमण्डल सदस्यों का निर्वाचन भी सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर नहीं हुआ था। इस समय केवल 109. लोगों को मताधिकार था अतः 90 प्रति. जनसंख्या का संविधान सभा के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष योगदान भी नहीं था।

→ उपर्युक्त आलोचना उचित नहीं है क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था क्योंकि :–

1. चुनाव के लिए पर्याप्त ढांचा नहीं था।

2. संसाधनों की कमी थी।

3. राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण था।

4. साम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी।

5. लोगों में राजनैतिक जागरूकता व शिक्षा का अभाव था।

6. समयाभाव था।

उपर्युक्त कारणों से संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। जहां तक रियासतों के सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न हैं उस समय बड़ी चुनौती यह थी कि रियासतों का भारत में विलय कैसे किया जाए। एवं रियासतों में चुनावी ढांचा उपलब्ध नहीं था।

→ संविधान सभा सम्प्रभु नहीं थी।

संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ब्रिटीश शासन के अंतर्गत इसका निर्वाचन हुआ था। इसलिए इसे सम्प्रभु संस्था नहीं माना जाता लेकिन **15 अगस्त 1947** से संविधान सभा एक सम्प्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई एवं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी और संविधान सभा ने इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था कि वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक लेगी।

→ संविधान निर्माण में संविधान सभा ने अधिक समय लिया। इसमें (2 वर्ष 11 माह 18 दिन) का समय लिया जबकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने 4 माह में संविधान पूरा कर दिया था।

• यह आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियां भिन्न थी। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी व जटिल सामाजिक ढांचे वाला देश है। इसमें अनेक वंचित वर्ग तथा जनजातीय लोग है जबकि इनमें राजनैतिक जागरूकता अभाव था, शिक्षा का अभाव था अतः ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमें सभी के हितों की रक्षा कर सके। इसके लिए अनेक विशेष प्रावधान किये गये है। जबकि अमेरिका में इतनी चुनौतियां नहीं थी। अमेरिकी संविधान में रेड इण्डियन व निग्रोज के लिये अलग विशेष प्रावधान नहीं किये गये।

• भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि इसमें प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया गया है जबकि अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है उसमें केवल 7 अनुच्छेद है जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे।

• भारतीय संविधान में संघ के संविधान के साथ–साथ राज्यों का संविधान भी शामिल है। जबकि अमेरिकी संविधान में केवल संघ का संविधान ही है और सभी राज्यों के अलग संविधान है जो कालान्तर में बनाये गये थे।

→ संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया।

• कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था एवं वह सबसे बड़ा राजनैतिक दल था इसका जनाधार अधिक था इसीलिए प्रांतीय विधानमण्डलों के चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी एवं इसी कारण संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य थे। इसके बावजूद संविधान सभा में सभी राजनैतिक दलों के विचारों को पर्याप्त महत्व दिया गया यहां तक की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। संविधान निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। प्रारूप समिति में केवल ''2'' कांग्रेस के प्रतिनिधि थे शेष सभी सदस्य गैर कांग्रेसी थे। (K.M. मुंशी, T.T. कृष्णामाचारी)

• वैसे भी संविधान में किसी भी एक विचारधार को अधिक महत्व नहीं दिया गया है बल्कि सभी विचार धाराओं को बराबर महत्व दिया है। भारतीय संविधान एक संतुलित संविधान है।

→ संविधान सभा में हिन्दू बहुत थे इसलिए हिन्दू विचारों को अधिक महत्व दिया गया है।

• संविधान सभा का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था तथा विभाजन के बाद अधिकांश मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गये थे तथा जो मुस्लिम लीग के सदस्य भारत में रह गये थे उनका संविधान सभा में स्वागत किया गया था। तथा उनके विचारों को पर्याप्त महत्व दिया गया था। और वैसे भी संविधान सभा के अधिकांश निर्णय सर्वसम्मती से लिये गये थे।

→ इसी प्रकार संविधान सभा की उपर्युक्त आलोचनाएं उचित नहीं है और भारतीय संविधान अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि संविधान सभा ने श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया। और 68 वर्षों का सफल क्रियान्वयन इसे प्रमाणित करता है।

भारतीय संविधान के स्त्रोत :–

→ संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था इनमें से श्रेष्ठ बातों को लेकर हमारे संविधान की रचना की।

→ हमारे संविधान के मुख्य स्त्रोत निम्न थे।

→ भारत सरकार अधिनियम –1935

यह हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्त्रोत है। संविधान के करीब 2/3 प्रावधान इसी से लिये गये है करीब 250 अनुच्छेद इसी से लिये गये है।

मुख्य प्रावधान :– द्विसदनीय व्यवस्था

– अंग्रेता ही विजेता

– प्रान्तीय स्वायत्तता

– राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति

– राज्यपाल का विटो अधिकार

– CAG

– अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

– समवर्ती सूची

– अध्यादेश जारी करना

ब्रिटेन

– संसदीय शासन व्यवस्था

– द्विसदनीय व्यवस्था

– मंत्री परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व (निम्न सदन के प्रति)

– एकल नागरिकता

– अंग्रेता ही विजेता (सर्वाधिक मत पाने वाला विजिय)

– विधि का शासन (विधि के समक्ष क्षमता)

– CAG

Springboard ACADEMY

अमेरिका – मूल अधिकार
– स्वतंत्र न्यायपालिका
– न्यायिक पुनरावलोकन
– राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग की प्रक्रिया
– उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया
– उपराष्ट्रपति का पद
– प्रस्तावना की पहली पंक्ति
– विधि का समान संरक्षण
– विधि की सम्यक् प्रक्रिया

कनाडा – संघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हो
– राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
– राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार

आयरलैण्ड – नीति निर्देशक तत्व
– राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
– राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन

दक्षिण अफ्रीका – संविधान संशोधन की प्रक्रिया
– राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन

आस्ट्रेलिया – समवर्ती सूची
– संसद का संयुक्त अधिवेशन
– प्रस्तावना का प्रारूप
– अंतराज्यीय व्यापार–वाणिज्य व समागम

जापान – विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया

रूस – मूल कर्त्तव्य
– सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय

जर्मनी – (Vimer Republic)
– आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलम्बन

फ्रांस – गणतंत्र
– स्वतंत्रता, समानता व बंधुता

Q. क्या भारतीय संविधान उदार का थैला है ?

Springboard ACADEMY

प्रस्तावना

हम भारत के लोग - अर्थात सम्प्रभूता भारत की जनता में निहित है

भारत को - सम्पूर्ण प्रभूत्व सम्पन्न

समाजवादी

पंथनिपेक्ष

लोकतंत्र

गणराज्य बनाना है।

न्याय - सामाजिक

आर्थिक

राजनीतिक

स्वतंत्रता – विचार

अभिव्यक्ति

विश्वास

धर्म

उपासना

समता – प्रतिष्ठा

अवसर

बंधुता – व्यक्ति की गरिमा

राष्ट्र की एकता व अखण्डता

26 नवम्बर 1949 ई.

मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवति 2006 विक्रमी अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं।

सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न :– 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य (डोमिनियन स्टेट) था। इस समय की हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम–1947 के द्वारा संचालित होती थी। तथा पाकिस्तान 1956 तक अधिराज्य रहा था। कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आज भी अधिराज्य है यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र है लेकिन सैद्धान्तिक रूप से इनका राष्ट्र प्रमुख आज भी ब्रिटीश क्राउन है।

→ सम्प्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है कि कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र जो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राष्ट्र या बाह्य सत्ता से निर्देश प्राप्त नहीं करता हो। अर्थात् वो राष्ट्र जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो।

Springboard ACADEMY

→ यद्यपि वर्तमान में भी हम अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के निर्णय को मानते है। तथा अन्य देशों का राजनैतिक दबाव भी हमारे ऊपर होता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभूता सीमित नहीं होती है क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता हमने स्वेच्छा से ले रखी है और यह हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही सहन करते हैं।

समाजवाद :–भारत साम्यवादी देश नहीं है। हमारा समाजवाद साम्यवाद से भिन्न है यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है। यह संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है। अर्थात् योग्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करता है। लोकतांत्रिक आंदोलन से बदलाव लाने की बात करता है। यह निजि संपत्ति को मान्यता देता है। यह संसाधन के संकेन्द्रण का विरोध करता है। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। गरीबों और वंचितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह **''फेबियन समाजवाद''** के निकट है।

→ समाजवाद शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ।

पंथ निरपेक्ष :–

→ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गयी है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

→ सभी लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

→ प्रस्तावना में भी पंथनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षता, पाश्चात्य पंथनिरपेक्षता से अलग है क्योंकि दोनों ही पंथनिरपेक्षताओं का उदय भिन्न परिस्थितियों व कारणों से हुआ है। पाश्चात्य पंथनिरपेक्षता पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व प्रबोधन के कारण अस्तित्व में आयी है। लेकिन भारतीय पंथनिरपेक्षता को बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज के कारण अपनाया गया है इसलिए भारत में पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म का राजनीति से पृथक्करण नहीं है बल्कि इसका अर्थ है ''सर्व धर्म समभाव''। और इसलिए राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। धार्मिक पहचान को मान्यता देता है। इस आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा भी देता है। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाता है। धार्मिक संस्थाओं का संचालन भी करता है। धार्मिक कार्यों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाता है। सभी धर्मों के लिए अलग नागरिक संहिता है। धार्मिक संस्थाओं को करों में छूट दी जाती है।

→ अतः भारत में धर्म को शासन व्यवस्था से पृथक नहीं किया गया बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण किया गया।

लोकतंत्र :–

→ लोकतंत्र दो प्रकार के होते है :–

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

1. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र :– यदि जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हो अर्थात् महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं प्रशासनिक निर्णय जनता की सहमति से लिये जाते है। इस तरह का लोकतंत्र केवल छोटे देशों में संभव हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निम्न रूप है :–

1. Referendum जनमत संग्रह
2. Plebiscite जनमत संग्रह

3. Right to Recall

4. Initiative

→ भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्योंकि विशाल जनसंख्या, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा कमजोर अर्थात् संचार के साधनों की कमी, शिक्षा का अभाव, राजनैतिक जागरूकता का अभाव इत्यादि।

(2) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र :–

→ इसके तहत जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार होती है। सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक, प्रशासनिक निर्णय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिये जाते है।

→ इसके अनेक रूप है जैसा कि :–

1. संसदीय शासन व्यवस्था – ब्रिटेन
2. अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था – अमेरिका
3. दोहरी कार्यपालिका – फ्रांस
4. बहुल कार्यपालिका – स्वीट्जरलैण्ड

→ भारत में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है।

→ इसी तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अन्य रूपों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. संधीय शासन व्यवस्था – अमेरिका
2. एकात्मक शासन व्यवस्था – ब्रिटेन

→ भारत में अर्द्धसंघीय शासन व्यवस्था है।

गणतंत्र (गणराज्य) :–

→ यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है तो इसे गणतंत्र कहते है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की शक्तियां भी जनता में निहित है और राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति है। जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे देश में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है क्योंकि उनके राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है।

सामाजिक न्याय :–

→ सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित वातावरण जैसे कि धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, भाषायी भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, काले–गोरे का भेदभाव, विकग्लांगत से युक्त भेदभाव आदि।

→ व्यक्ति को अच्छा सकारात्मक वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।

आर्थिक न्याय :–

→ संसाधनों का संकेन्द्रण नहीं होना चाहिए जबकि इनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए

और सभी के लिए रोजगार उपलब्ध होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए इसके लिए बंधुआ मजदूर व बेगार प्रथा बंद होनी चाहिए।

राजनीतिक न्याय :–

→ सभी लोगों को मतदान व चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।

→ निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए।

→ चुनाव में बाहुबल व धनबल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों का प्रयोग ना हो।

Q. क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है ?

Ans.→ केशवानन्द भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन इस संशोधन से संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

→ 42 वां संविधान इससे प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गये थे – 1. समाजवाद
2. पंथनिरपेक्षता
3. अखण्डता

Q. क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है ?

Ans.→ बेरूबाड़ी वाद 1960 ई. उच्चतम न्यायालय ने माना की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

कैशवानन्द भारती वाद – 1973 ई.

→ उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट लिया तथा यह माना की प्रस्तावना संविधान का पार्ट है लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति शक्तिशाली नहीं है यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है क्योंकि यह न तो संसद को किसी तरह की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसदीय शक्तियों पर अकुंश लगाती है।

<u>प्रस्तावना की आलोचना</u> :–

→ प्रस्तावना एक तरह की नकल है क्योंकि इसकी पहली लाईन अमेरिका से ली गयी है तथा शेष प्रारूप आस्ट्रेलिया से लिया गया है।

→ प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन यह सशक्त नहीं है क्योंकि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

→ प्रस्तावना में लिखे हुए शब्द समाजवाद व पंथनिरपेक्षता स्पष्ट नहीं है। क्योंकि 1951 ई. के बाद से हम क्रमिक रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे है तथा हम सभी धर्मों को संरक्षण दे रहे है।

संविधान के भाग :– (22 भाग)

1. संघ व राज्य क्षेत्र (1–4)
2. नागरिकता (5–11)
3. मूल अधिकार (12–35)
4. राज्य के नीति निदेशक तत्व (36–51)

(4A) मूल कर्त्तव्य (51A)

5. संघ (52–151)
6. राज्य (152–237)
7. x (238) x
8. संघ राज्यक्षेत्र (239–242)
9. पंचायतीराज (243–243 'o')

(9A) नगरीय निकाय (243P–243ZG)

(9B) सहकारी समितियां (243ZH –243ZT)

10. अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्र (244–244A)
11. केन्द्र व राज्य के बीच विद्यायी व प्रशासनिक संबंध (245–263)
12. केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध (264–300A)
13. राज्यों के बीच व्यापार (301–307)
14. केन्द्र व राज्य के अधीन सेवाएं (308–323)

(14A) न्यायाधीकरण (323A,B)

15. निर्वाचन (324–329A)
16. कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान (SC/ST) (330–342)
17. राजभाषा (343–351)
18. आपातकाल (352–360)
19. प्रकीर्ण (361–367)
20. संविधान संशोधन (368)
21. अस्थायी प्रावधान (369–392)
22. संक्षिप्त नाम हिन्दी अनुवाद (393–395)

SpringBoard ACADEMY

भाग - I = संघ व राज्य क्षेत्र

अनु.– 1 **Indian that is Bharat**

भारत राज्यों का एक संघ है

Note :- संविधान में कहीं भी Federal(फेडरल) शब्द का उल्लेख नहीं है सभी जगह Union (यूनियन) शब्द का उल्लेख किया गया है।

जबकि भारतीय संविधान ''अर्द्ध परिसंघीय'' है।

Union (संघ)	Federal (परिसंघ)
↓	↓
केन्द्र अधिक शक्तिशाली	राज्यों के पास अधिक शक्तियां

→ भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात् राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात् अमेरिका में संघ के साथ–साथ राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता।

राज्यक्षेत्र :– सभी राज्य

सभी Union Teritory

अन्य अधीग्रहित क्षेत्र

अनु.–2 :– भारत में राज्यों को मिलाना व राज्यों की स्थापना करना।

→ यह भारत में नये क्षेत्रों के विलय की बात करता है।

अनु. 3 :– नये राज्य के गठन की प्रक्रिया।

→ केन्द्र को अधिकार है कि वो राज्यों का नाम व राज्यक्षेत्र में बदलाव कर सकता है, उसकी सीमा रेखा में बदलाव कर सकता है, राज्यों का विभाजन कर सकता है।

Note :- नये राज्य के गठन की प्रक्रिया :–

→ नये राज्य के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभा के पास भेजता है और राष्ट्रपति प्रस्ताव को वापस लोटाने की समय–सीमा निर्धारित कर देता है, राष्ट्रपति समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है।

→ राज्य विधानमण्डल प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में मत दे सकता है लेकिन इसका प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

→ नये राज्यों के गठन का विधेयक बिल ''राष्ट्रपति की पूर्वानुमति'' से ही संसद में पेश किया जाता है।

→ इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में पृथक्–पृथक् साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए।

→ संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है।

→ दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है राष्ट्रपति इसे ''पुनर्विचार के लिए'' नहीं लौटा सकता।

Springboard ACADEMY

→ राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, साधारण बहुमत, संयुक्त अधिवेशन नहीं, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता।

अनु. 4 :–

→ पहली व चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते है उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा।

→ बेरुबाड़ी वाद–1960 :– उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया की भारत सरकार संविधान संशोधन के बिना कोई भू–भाग अन्य देश को नहीं दे सकता है।

→ 9 वां संविधान संशोधन से बेरुबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया।

→ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है इसे मंत्रीमण्डल के निर्णय से भी किया जा सकता है।

→ 100 वां संविधान संशोधन – इसके तहत बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान–प्रदान किया गया। जिसमें भारत ने 111 डचियां (Enclave) बांग्लादेश को ही एवं बांग्लादेश ने 51 डचियां भारत को दी।

साधारण बहुमत :– उपस्थित सदस्यों का बहुमत

उदा. – यदि 300 सदस्य उपस्थित तो 151 मत की आवश्यकता

प्रभावी बहुमत :– तत्कालीन सदस्यों का बहुमत

उदा. – तत्कालीन सदस्य = कुल सदस्य – रिक्त स्थान

पूर्ण बहुमत :– कुल सदस्यों का बहुमत

उदा. – राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों बहुमत यानी 123 मत यहां पर इसका कोई महत्व नहीं है कि कितने स्थान रिक्त है और कितने सदस्य उपस्थित है।

विशेष बहुमत :– इसमें 2 शर्ते पूरी होनी चाहिए।

1. कुल सदस्यों का बहुमत
2. उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत

Note :- राष्ट्रपति के महाभियोग के समय कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है।

राष्ट्रीय एकीकरण :–

→ अक्टूबर 1947 जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय किया गया। यहां के शासक हरिसिंह ने ''विलय पत्र'' पर हस्ताक्षर किये थे।

→ फरवरी 1948 जूनागढ़ (गुजरात) रियासत का विलय भारत में किया गया था यहां ''जनमत संग्रह'' करवाया गया था।

→ नवम्बर 1948 हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। पुलिस कार्यवाही ''ऑपरेशन पोलो'' द्वारा किया गया।

→ 1954 में चन्द्रनगर, यनम, पुडुचेरी, कर्रेकल तथा माहे को फ्रांसिसियों से युक्त करवाया।

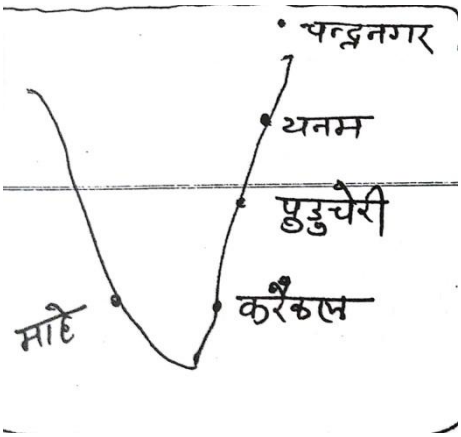

→ 1954 में दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया।

→ 1961 में गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया।

→ 10वां संविधान संशोधन–1961

दादर व नगर हवेली को भारत में मिलाया गया तथा उसे UT बनाया गया।

→ 12वां संविधान संशोधन–1962

गोवा, दमन व दीव को भारत में मिलाया गया और UT बनाया गया।

→ 14वां संविधान संशोधन :–1962

चन्द्रनगर, यनम, पुंडुचेरी, करैकल, माहे को भारत में मिलाया गया। चन्द्रनगरको प. बंगाल में मिला दिया गया तथा बाकी चार को मिलाकर UT बनाया गया।

सिक्किम :–

→ सिक्किम को पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया।

→ सिक्किम में चोगियाल का शासन था। इसने रक्षा, विदेश, संचार यह तीन शक्तियां भारत को दे रखी थी।

→ 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया इसके लिए अनु. 2A तथा 10 अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किये गये।

→ 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें सिक्किम की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया।

→ 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। और अनु. 2A तथा 10 अनुसूची को हटा दिया गया।

Springboard ACADEMY

राज्यों का पुनर्गठन :–

धर आयोग 1948 ई. :– इस आयोग ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को अस्वीकार कर दिया।

JVP समिति 1948 ई. → सदस्य – J N नेहरू

V.B. पटेल

पट्टाभी सीतारम्मैया

→ इस समिति का कार्य था धर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना।

→ इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दी। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ती जा रही थी।

→ तेलगू भाषी आन्ध्रप्रदेश की मांग कर रहे थे इसके लिए आंदोलनकारी ''पाट्टी श्री रामल्लु'' की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। इसलिए यह आंदोलन अधिक हिंसक व तेज हो गया इसलिए सरकार को इनकी मांग माननी पड़ी। इसलिए 1953 ई. में आंध्रप्रदेश राज्य की स्थापना की गयी।

1953– आंध्रप्रदेश का गठन :–

→ इसके बाद यह मांग और अधिक बढ़ गयी थी। इसके लिए फज़ल अली आयोग का गठन किया गया।

<u>फज़ल अली आयोग</u> :–

सदस्य – फज़ल अली (अध्यक्ष)

K.M. पण्णिकर

हृदयनाथ कुंजरू

→ 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसने माना केवल भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जैसा कि :–

1. राष्ट्रीय एकता व अखण्डता
2. प्रशासनिक सुविधा
3. सामाजिक व सांस्कृतिक विकास
4. आर्थिक विकास

→ इस आयोग के अनुसार राज्यों की चार श्रेणियों को समाप्त करके इसके स्थान पर केवल दो श्रेणियां होनी चाहिए।

1. राज्य
2. UT (संघ शासित प्रदेश)

→ 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया। 1 नव. 1956 को यह लागू हुआ।

→ इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेश स्थापित किये गये।

→ 1960 – गुजरात को बोम्बे से अलग किया गया था तथा बोम्बे को महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया।

1963 – नागालैण्ड राज्य की स्थापना।

1966 – हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया।

→ हिन्दी भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।

1971 – हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

1972 – मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पहले मणिपुर तथा UT थे जबकि मेघालय आसाम के भीतर उपराज्य था। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन से उपराज्य का दर्जा दिया गया था।

→ अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम को U.T. बनाया गया।

1975 – सिक्किम का भारत में विलय कर पूर्ण राज्य बनाया गया।

1987 – गोवा, मिजोरम व अरूणाचल प्रदेश ये तीनों पहले UT थे बाद में राज्य बनाया गया।

2000 – छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखण्ड को क्रमशः M.P., U.P. और बिहार से अलग किया गया।

2014 – तेलंगाना का गठन (आन्ध्रप्रदेश से अलग किया)

नाम परिवर्तन

1950 – संयुक्त प्रान्त → उत्तर प्रदेश

1969 – मद्रास → तमिलनाडू

1973 – मैसूर → कर्नाटक

लकादीव – लक्ष्यद्वीप

1992 – U.T. of Delhi → राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र Delhi

→ 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया।

2006 – उत्तरांचल – उत्तराखण्ड

पाण्डीचेरी – पुडूचेरी

2011 → उड़ीसा – ओड़िशा

Springboard ACADEMY

अनुसूचियां

अनुसूची –1 – राज्य व संघ शासित प्रदेश।

अनुसूची –2 – संचित निधि पर भारित वेतन।

	केन्द्र	**राज्य**
→	राष्ट्रपति	राज्यपाल
→	राज्यसभा के सभापति	विधानपरिषद् के सभापति
	उपसभापति	उपसभापति
→	लोकसभा के अध्यक्ष	विधानसभा के अध्यक्ष
	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
→	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
→	CAG	

अनुसूचि –3 शपथ का प्रारूप

केन्द्र	**राज्य**
M.P. का उम्मीदवार	M.L.A का उम्मीदवार
M.P.	M.L.A
मंत्री	मंत्री
S.C. न्यायाधीश	H.C. न्यायाधीश

→ CAG की शपथ SC के न्यायाधीश के समान होती है।

→ राष्ट्रपति की शपथ अनु. 60 में है।

→ उपराष्ट्रपति की शपथ अनु. 69 में है।

→ राज्यपाल – 159 अनु.

→ लोक सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है।

अनुसूची–4 :– राज्यसभा सीटों का बंटवारा।

अनुसूची –5 :–अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।

अनुसूची–6 :– अनुसूचित व जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।

(आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)

अनुसूची–7 :– केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।

Springboard ACADEMY

संघ सूची	97	100
राज्य सूची	66	61
समवर्ती सूची	47	52
	(आरम्भ)	(वर्तमान)

→ 42वें संविधान संशोधन से 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किये गये।

1. वन
2. वन्य जीव
3. नाप तोल व बाट ईकाइयां
4. न्यायिक प्रशासन
5. जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन

अनुसूची–8 :– संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं।

→ मूलरूप से संविधान में ''14 भाषाएं''थी हिन्दी इसमें शामिल है जबकि English इसमें शामिल नहीं है।

15वीं भाषा – सिंधी (21वें संविधान संशोधन 1967 ई.)

16वीं भाषा – कोंकणी
17वीं भाषा – मणिपुरी
18वीं भाषा – नेपाली
} 71वें संविधान संशोधन द्वारा – 1992

19वीं भाषा – बोडो
20वीं भाषा – डोगरी
} 92वां संविधान संशोधन –2003 ई.
21वीं भाषा – मेथिली
22वीं भाषा – संथाली

अनुसूची–9 :– विधेयकों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण।

→ यदि किसी विधेयक को 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती।

→ जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए व भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था। (पहले संविधान संशोधन के द्वारा)

→ आरम्भ में इसमें 13 अधिनियम थे जबकि वर्तमान में 282 अधिनियम है।

→ 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम इस अनुसूची में रखे गये है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अर्थात् 1973 के बाद इसमें सम्मिलित अधिनियम को यह संरक्षण प्राप्त नहीं है।

Springboard ACADEMY

अनुसूची –10 :– दल बदल विरोधी कानून।

→ यह 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी।

→ 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किये गये।

प्रावधान :–

→ यदि कोई व्यक्ति (सांसद) चुनाव के बाद दल बदलता है तो यह दल बदल माना जायेगा और उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

→ यदि दो तिहाई सदस्य सामूहिक रूप से दल बदलते है तो यह दल बदल नहीं माना जाता है इसे पार्टी का विलय माना जाता है।

→ यदि कोई सांसद Whip का उल्लंघन करता है और वह राजनैतिक दल 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं करता है। तो इसे भी दलबदल का दोषी माना जायेगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

→ निर्दलीय सदस्य किसी राजनैतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता है। यदि वो राजनैतिक दल की सदस्यता लेता है तो दल बदल माना जायेगा लेकिन वो किसी को समर्थन दे सकते है।

→ MLA तथा MLC के लिए भी यह समान शर्ते है।

→ मनोनीत सदस्य मनोनयन के बाद 6 माह के भीतर किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ले सकते है।

→ दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय सदन का सभापति/अध्यक्ष लेता है। सभापति/अध्यक्ष के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं।

अनुसूची–11 :–

→ पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये विषय।

→ इसमें कुल 27 विषय है राजस्थान में इसमें से ''22 विषय'' पंचायती राज संस्थाओं को दे दिये गये।

→ यह 73वें संविधान संशोधन–1993 के द्वारा जोड़ी गयी है।

अनुसूची –12 :–

→ नगरीय निकाय को दिये गये विषय।

→ इसमें कुल 18 विषय है।

→ यह 74वें संविधान (1993) संशोधन के द्वारा जोड़ी गयी है।

Springboard ACADEMY

भाग –3

मूल अधिकार (अनु. 12–35)

अनु. 12 राज्य की परिभाषा

– संघ की विधायिका व कार्यपालिका

– राज्यों की विधायिका व कार्यपालिका

– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अनु. 13 ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी।

(संविधान पूर्व के कानून के लिए)

13 (2) संसद यदि कोई कानून पारित करती है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है असंगति की सीमा तक शून्य होगा।

(संविधान पश्चात् के कानून के लिए)

* → कोई भी विधि मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।

13(3) विधि को परिभाषित किया गया।

→ इसमें संसदीय अधिनियम, अध्यादेश, राज्य विधानमण्डल के अधिनियम, सरकारी आदेश इन सबको विधि के अन्दर रखा गया है।

→ रूढ़ी प्रथा, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि को भी शामिल किया गया है।

ग्रहण का सिद्धांत :– यदि कोई संविधान पूर्व कानून, मूल अधिकारों से असंगत है तो वह शून्य हो जाता है लेकिन कालान्तर में संसद मूल अधिकारों में संशोधन करती है और इससे वो असंगति दूर हो जाती है तो वह कानून पुर्नजीवित हो जाता है।

13 (4)

अनु. 14 विधि का शासन
- 1. विधि के समक्ष क्षमता
- 2. विधि का समान संरक्षण

विधि के समक्ष क्षमता :– भारत में विधि का शासन है अर्थात् कानून सर्वोपरी है कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है तथा कानून के समक्ष सभी समान है। कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है।

→ यह विधि की शासन की नकारात्मक व्याख्या है और यह ब्रिटेन से लिया गया है।

विधि का समान संरक्षण :– समान परिस्थितियों में कानून समान व्यवहार करेगा।

→ यह विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है। यह USA से ली गयी है।

अनु. 15(1) राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

15 (2) निजि संस्था, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, मंदिर आदि में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

Springboard ACADEMY

15 (3) राज्य यदि महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं बनायी जा सकती है।

15 (4) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से कानून बना सकता है।

15 (5) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में स्थान आरक्षित किये गये है।

(सरकारी व निजि दोनों ही प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण हो सकता है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं हो सकता।)

अनु.16 (1) लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध करवायेगा।

16 (2) लोक नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

16 (3) निवास की बाध्यता – कुछ क्षेत्रों की स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता रख सकता है।

16 (4) सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जाते है।

16 (4A) पदोन्नति में आरक्षण

16 (4B) Backlog भरने के लिए 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है।

16 (5) धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षण किये जा सकते है।

इन्द्रा साहनी केश – 1992 ई. :–

उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी अर्थात् 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता।

→ उच्चतम न्यायालय ने OBC में क्रीमिलेयर की अवधारणा दी अर्थात् क्रीमिलेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है।

अनु. 17 अस्पृश्यता का निवारण

→ यह एक पूर्ण अधिकार है क्योंकि इसमें कोई अपवाद नहीं है।

अनु. 18 उपाधियों का निराश/अंत

→ राज्य सैना व शिक्षा के अलावा कोई उपाधी प्रदान नहीं करेगा।

→ भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से भी उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते।

→ विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता।

→ सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी अन्य देश के सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता।